संख्या-89/2022/ 903-2273329-12-5002(003)/3/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 20 दिसंबर, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तेर्गत स्वाच्छयता एक्शवन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान अन्तषर्गत संचालित जैविक खेती कार्यक्रम हेतु अवमुक्तम केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/नमामि गंगे/338/2022-23, दिनांक 06.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8908-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रु.3346.404 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू.2230.94 लाख राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1.स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

3. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

4. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं 10 नवम्बर, 2022 के संलग्नक दिनांक 08 नवम्बर, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2402001028908 (नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	04 यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	08 कार्यालय व्यय	7,20,000 (रुपये सात लाख बीस हजार मात्र)
3	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	7,37,000 (रुपये सात लाख सैंतीस हजार मात्र)
4	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
5	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	27 सब्सिडी	11,28,80,000 (रुपये ग्यारह करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				हजार मात्र)
6	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	42 अन्य व्यय	9,22,57,000 (रुपये नौ करोड़ बाईस लाख सत्तावन हजार मात्र)
7	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,37,40,000 (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख चालीस हजार मात्र)
8	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
9	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
10	011	2402001028908 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
	कुल			**22,30,94,000** **(रुपये बाईस करोड़ तीस लाख चौरानवे हजार मात्र)**

महायोग	22,30,94,000 (रुपये बाईस करोड़ तीस लाख चौरानवे हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-329-X-2022-23- दिनांक: 15-12-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव,

संख्या-89/2022/ 903-2273329-12-5002(003)/3/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. अपर कृषि निदेशक, (सामन्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
9. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव,

http://-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।